भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1332

दिनांक 12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

समकारी लेवी

1332. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका ने यह पता लगाया है कि भारत का डिजिटल सेवा कर (समकारी लेवी 2.0) भेदभावपूर्ण है और अमरीकी वाणिज्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को उक्त के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका के संबंधित प्राधिकरणों से पत्राचार अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार यूएस ट्रेड ऐक्ट के अंतर्गत भारत के विरुद्ध संभावित कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है;

(घ) क्या सरकार व्यक्त की गई चिंताओं का दूर करने के लिए कदम उठा रही है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) जनवरी, 2021 तक लेवी के माध्यम से देश-वार कितनी धनराशि जुटाई गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : जी, हां। यूएस ने दिनांक 6 जनवरी, 2021 को तीन देशों अर्थात भारत, इटली और तुर्की के विरुद्ध तथा दिनांक 14 जनवरी, 2021 को आस्ट्रिया, स्पेन और यूनाइटेड किंग्डम सहित अन्य कई देशों के विरुद्ध डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) संबंधी धारा 301 जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि इन देशों में डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) अमरीकी कंपनियों के साथ से भेदभावपूर्ण है और अमरीकी वाणिज्य पर भार डालता है अथवा इसे प्रतिबंधित करता है।

(ग), (घ) और (ड.) : ऐसे मुद्दे आर्थिक संबंधों के भाग हैं और भारत तथा अमरीका के बीच नियमित द्विपक्षीय वार्ताओं में उठाए जाते है।

(च) : वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 (दिनांक 30 जनवरी, 2021 तक) तक समकारी लेवी के माध्यम से भारत में संग्रहित निधि की मात्रा निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**संग्रहित समकारी लेवी**
01	2016-17	338.6
02	2017-18	589.4
03	2018-19	938.9
04	2019-20	1,136.5
05	2020-21 (30.01.2021 तक)	1,492.7

(स्रोत: ओएलटीएएस)

*****